



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

OS (E)

4/3

सं. 481

No. 481

तई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

तई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 56(अ)।—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पांचुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 की संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अंथात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'स्वापक पदार्थ विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010' है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. स्वापक पदार्थ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में निरीक्षक के पद से संबंधित स्तर 11 में भर्ती की पद्धति शीर्ष के अधीन सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्त द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाले पदों की प्रतिशतता विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अंथात्—

"सीधी भर्ती द्वारा, उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक श्रेणी-III की श्रेणी से प्रोन्ति द्वारा और उप-निरीक्षक की श्रेणी से प्रोन्ति द्वारा स्वापक पदार्थ कमीशनरी में निरीक्षकों का पद भरने के लिए अनुपात क्रमशः 7 : 5 : 9 होगा।"

[फा. सं. ए-12018/06/2009-एड. III आ]

के. के. खट्टर, अंवर सचिव

टिप्पणी—मूल नियम गोरता के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) के सं. सा.का.नि. 21, तारीख 21-10-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 449(अ), तारीख 7-7-2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

389 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2010

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Narcotics Department (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Narcotics Department (Group 'C' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotics Department (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2002, in the Schedule, in column 1 relating to the post of Inspector under heading "Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods", for the existing entry the following entry shall be substituted namely:—

"The ratio for filling up the post of Inspectors in Narcotics Commissionate by direct recruitment, by promotion from the Grade of UDC/Steno Grade-III and by promotion from the Grade of Sub-Inspector, shall respectively be 7:5:9."

[F. No. A-12018/06/2009-Ad. III-B]

K. K. KHATTAR, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 21, dated the 21st October, 2001, and subsequently amended vide G.S.R. 449(E), dated 7-7-2004.